राजस्थान सरकार
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
पेंशन भवन, ज्योति नगर, जयपुर राजस्थान

जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आसान तरीके

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के अनुसार प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को नवम्बर माह में एक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त नियमों के नियम 134 के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न विकल्प उपलब्ध है। जिनका उपयोग पेंशनर द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

1. राजस्थान राज्य कर्मचारियों के द्वारा SSO ID के माध्यम से।
2. जीवन प्रमाण के माध्यम से बायोमैट्रिक द्वारा।
3. फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
4. पेंशन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना।
5. विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कोष/पेंशन कार्यालय में जमा करना।

प्रथम तरीका
राजस्थान राज्य कर्मचारियों के द्वारा SSO ID के माध्यम से :–

1. SSO ID पर लॉगिन करके जीवन प्रमाण पत्र जारी करना सबसे सरल और आसान है, क्योंकि राजस्थान सरकार के सभी राजपत्रित अधिकारी एवं अराजपत्रित कार्मिकों (च0श्रे0कर्मचारी के अलावा) द्वारा यह जारी किया जा सकता है।
   ठसकी प्रक्रिया निम्नांनुसार है :–

   - पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर राजस्थान सरकार के अधिकारी/कार्मिक से जीवन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुरोध करें।

- वह अधिकारी / कार्मिक SSO Portal पर स्वयं की SSO ID एवं Password से निम्नानुसार Login करें।

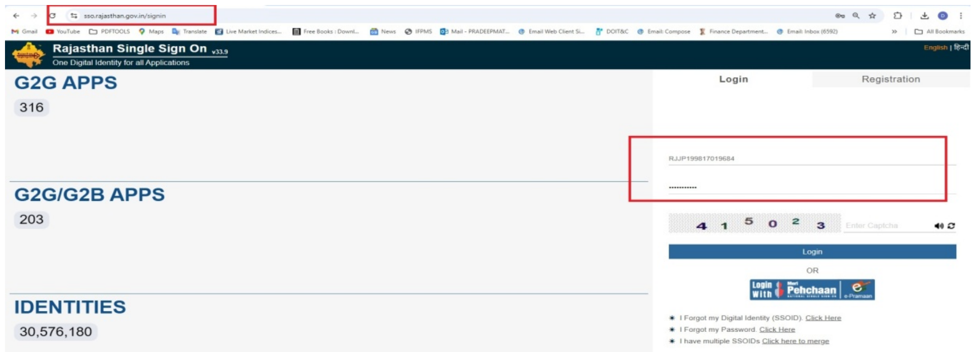

- Login करने पर IFMS 3.0 की स्क्रीन निम्नानुसार दिखाई देगी, इस स्क्रीन पर ESS पर क्लिक करने पर Pensioner Life Certificate का Icon दिखेगा, उक्त Pensioner Life Certificate Icon पर क्लिक करें।

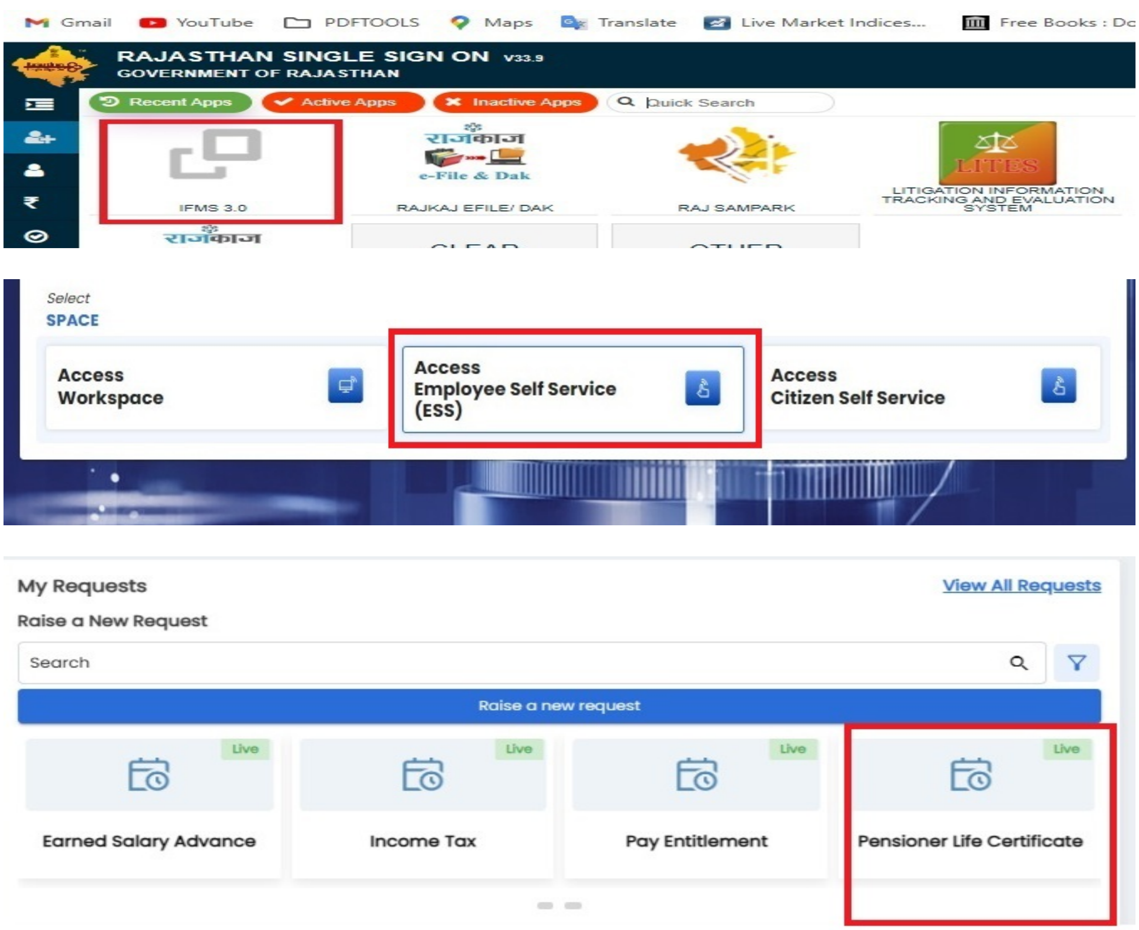

- कार्मिक द्वारा पेंशनर की पीपीओ संख्या एवं बैंक खाते की अंतिम 4 संख्या दर्ज करें। पेंशनर की निम्नानुसार जानकारी प्रदर्शित होगी।

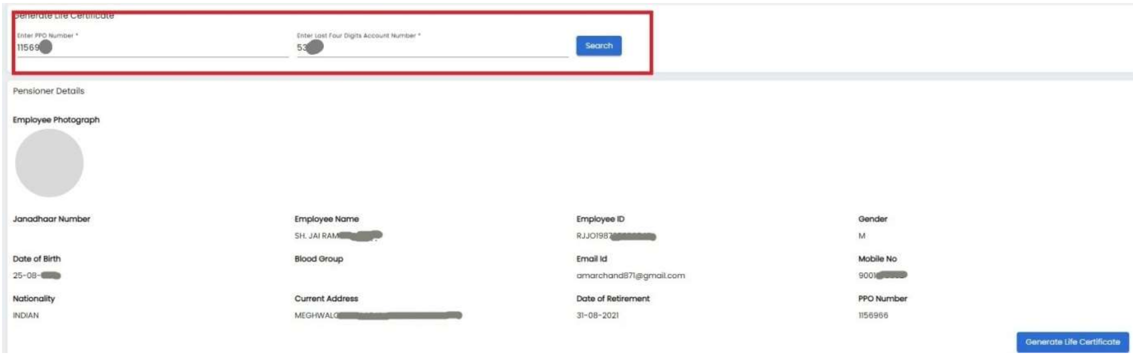

- Generate Life Certificate पर Click करने पर जीवन प्रमाण पत्र प्रदर्शित होगा, जिसमें अंकित विवरण की पेंशनर के पीपीओ से पुष्टि करें।

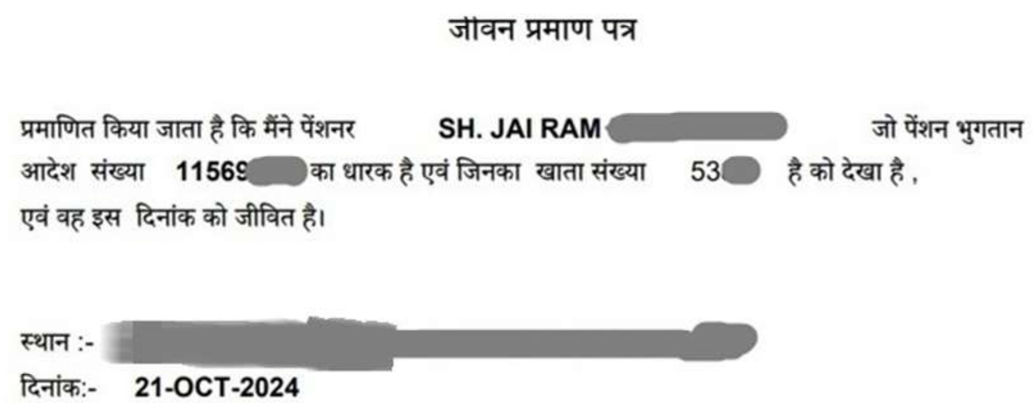

जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर **SH. JAI RAM** [redacted] जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या **11569**[redacted] का धारक है एवं जिनका खाता संख्या 53[redacted] है को देखा है , एवं वह इस दिनांक को जीवित है।

स्थान :- [redacted]
दिनांक:- **21-OCT-2024**

- कार्मिक इसे E-sign करें।

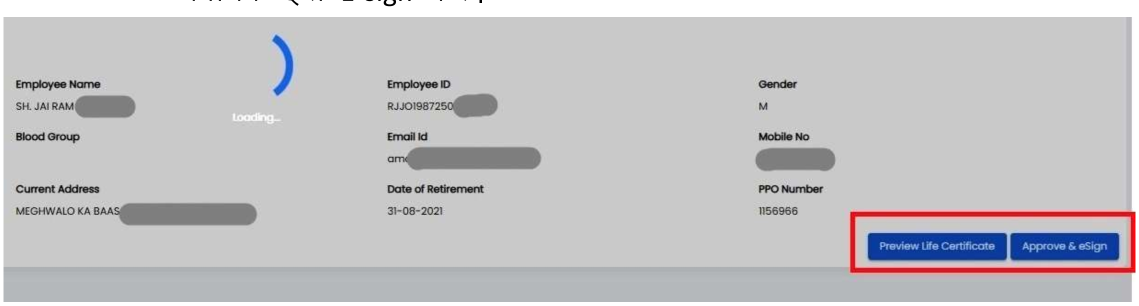

- कार्मिक OTP Submit करें।

RajKaj Ref No.: 11463855

- जीवन प्रमाण पत्र जारी होकर Update हो जायेगा जिसका Message संबंधित पेंशनर (जिनका जीवन प्रमाण पत्र जारी किया गया है) को प्राप्त हो जायेगा।
- अधिकारी/कर्मचारी जिन्होनें जीवन प्रमाण पत्र जारी किया है उनकी SSO ID पर उक्त प्रमाण पत्र भविष्य में संन्दर्भ हेतु सुरक्षित हो जाएगा।

RajKaj Ref No.: 11463855

Pensioner's Life Certificate Generation Steps
Govt. Officials (Gazetted / Non- Gazetted)

SSO ID Login

↓

Click on
IFMS 3.0

↓

Click on
Employee Self Service (ESS)

↓

Click on
Pensioner Life Certificate

↓

Enter PPO No. and Bank Account
Number Last Four Digits

↓

Verify Pensioners Details and
Preview Life Certificate

↓

Approve and E-Sign with
OTP

↓

Now Life Certificate
Submitted on Portal

RajKaj Ref No.: 11463855

दूसरा तरीका

<u>जीवन प्रमाण के माध्यम से बायोमैट्रिक द्वारा</u>

बायोमेट्रिक प्रक्रिया द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा सभी ई–मित्र सेवा केन्द्रों, डाकघरों, पेंशन विभाग के सभी कार्यालयों एवं पेंशन विभाग के निदेशालय पर उपलब्ध है। ई–मित्र सेवा केन्द्रों की सूची को जीवन प्रमाणन के कॉलम में ही अपने क्षेत्र का पिनकोड डालकर आस–पास के सभी केन्दों की सूची देख सकते हैं। इसके सफल समापन पर एक प्रमाण आईडी उत्पन्न होती है, जिसे एनआईसी द्वारा सीधे ही पेंशनभोगी के साथ साझा किया जाता है। प्रमाण आईडी जनरेट होने के बाद लिंक के माध्यम से पेंशन भोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है।

https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login

ई–मित्र सेवा केन्द्र या डाकघर पेंशन कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निम्न दस्तावेज/सूचना साथ लेकर जाना आवश्यक हैः–

1. पेंशनर का पी.पी.ओ. नम्बर
2. पेंशनर का आधार कार्ड
3. पेंशनर के बैंक खाते का विवरण जिसमें पेंशन प्राप्त होती है
4. पेंशनर का आधार से रजिस्टर्ड मोबाईल फोन (ओटीपी हेतु)

सभी पेंशन कार्यालयों में यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है।

तीसरा तरीका

फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र :–

1. फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्मार्टफोन होना आवश्यक है।
2. इसके साथ ही पेंशन जारी करने वाली संस्था जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में आपका आधार लिंक होना चाहिए।
3. इसके बाद अपने मोबाइल में AadharFaceRd′ और Jeevan Pramaan Faceapp को गूगलप्ले स्टोर से डाउनलोड करें।
4. इसके बाद पेंशनर का चेहरा स्कैन करें ताकि पहचान सुनिश्चित हो सके।
5. फिर आखिरी में पेंशन से संबंधित सभी आवश्यक विवरण भरें।
6. इसके बाद अपने मोबाइल के आगे के कैमरे से फोटो खींचें और इसे सबमिट कर दें।

https://jeevanpramaan.gov.in/apppackage/documentdowload/JeevanPramaan_FaceApp_3.6_Installation

https://jeevanpramaan.gov.in/apppackage/appdownload

RajKaj Ref No.: 11463855

चौथा तरीका

पेंशन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना

1. कम्प्यूटर या लेपटॉप पर ब्राउजर में गूगल खोले।
2. इस पर पेंशन विभाग की वेबसाईट का नाम IFPMS या https://pension.rajasthan.gov.in टाईप करे।
3. वेबसाईट खुलने पर Pensioners Services में Apply for में Pensioner Login पर क्लिक करें।
4. जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीकों सहित पेंशनरों को प्रदत अन्य सभी सुविधाए देखने हेतु अपना PPO NO. एवं Enter last 4 digits of Account No.डालकर Captcha डालने के बाद Login पर क्लिक करें।
5. Login करने के पश्चात् उपलब्ध Interface में JEEVAN PRAMAAN वाले कॉलम में पेशनर की सुविधा हेतु जीवन प्रमाण पत्र का खाली प्रपत्र उपलब्ध है। पोर्टल पर उपलब्ध जीवन प्रमाण प्रपत्र को डाउनलोड कर प्रिन्ट कर लें।
6. प्रमाणित प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड लाईफ सर्टिर्फिकेट में जाकर निर्धारित स्पेस में अपलोड करें अब जीवन प्रमाण पत्र विभाग के पोर्टल पर सबमिट हो गया है।

जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर ....(पेंशनर का नाम) जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या .... का धारक है एवं जिनका खाता संख्या XXXXXXX...............(अंतिम चार अंक) है, को देखा है एवं वह इस तारीख को जीवित है।

नाम :–

स्थान :–

प्राधिकृत अधिकारी का पद (मुहर)

तारीक :–

राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम के नियम 134 के अन्तर्गत जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी निम्नांनुसार है :–

(I) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;

(II) भारतीय पंजीयन अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार या सबरजिस्ट्रार;

(III) राजपत्रित अधिकारी;

(IV) किसी पुलिस थाने का प्रभारी जो सब–इन्सपेक्टर की रैंक से निम्न स्तर का पुलिस अधिकारी ना हो;

(V) पोस्टमास्टर, विभागीय सब–पोस्टमास्टर या डाकघर का निरीक्षक;

(VI) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का प्रथम श्रेणी का अधिकारी या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का अधिकारी याएजेंट के रूप में नियुक्त सब–एकाउण्टेंट या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट,1954 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक शाखा कार्यालय पर सब–एकाउण्टेंट;

(VII) विकास अधिकारी या नायब तहसीलदार;

(VIII) सांसद या विधायक या ग्प्रम पंचायत का सरपंच;

(IX) पेंशन प्राप्तकर्ता अधिकारी जिसने सेवानिवृति पूर्व एक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया था।

(X) आधार बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन के परिणामस्वरूप सरकारी एजेंसी द्वारा ऑनलाइन जारी जीवन प्रमाण पत्र भी विधि मान्य प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

पेंशनर जो भारत में निवासी नहीं हो, जिसके सम्बन्ध में उसका विधिवत् प्राधिकृत एजेण्ट किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंकर या भारत के किसी राजनायिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है, व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त है।

RajKaj Ref No.: 11463855

पाचंवा तरीका

विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कोष/पेंशन कार्यालय में जमा करना।

नियमानुसार निर्धारित जीवन प्रमाण पत्र का प्रपत्र जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो एवं विनिदिष्ट प्राधिकारी से प्रमाणित हो, को पेंशन कार्यालयों/कोष कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रमाण पत्र को संबधित पेंशन/कोष कायालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

नोटः– राजस्थान सरकार के अन्य सिविल पेंशनर्स जो अन्य राज्यों में किसी कोष कार्यालय या बैक से पेंशन का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, वे अपना जीवन प्रमाण पत्र संम्बन्धित पेंशन वितरण कार्यालय/बैंक में प्रस्तुत करें।

चेतावनी

1. पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों का यह दायित्व है कि वो पेंशनर की मृत्यु की सूचना (मृत्यु प्रमाण पत्र सहित) तुरन्त कोष कार्यालय में देवें। यदि परिवार के सदस्यो के द्वारा इस तथ्य को छिपाते हुए पेंशन लगातार आहरित की जाती है तो यह आर्थिक अपराध की श्रेणी में आएगा और संबधित के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।
2. अन्य किसी मिलती–जुलती वेबसाइट, मोबाइल एप या लिंक या मैसेज से जीवन प्रमाण संबधी जानकारी चाहे जाने पर उस पर अपनी कोई व्यक्तिगत सूचना साझा नहीं करें, इससे पेंशनर को आर्थिक हानि हो सकती है। केवल वैध एवं मान्य माध्यमो से ही जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

RajKaj Ref No.: 11463855

<u>जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रारूप</u>

<u>जीवन – प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर ....(पेंशनर का नाम) जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या .... का धारक है एवं जिनका खाता संख्या .... (अन्तिम चार अंक) को देखा है एवं वह इस तारीख को जीवित है।

स्थान :–
तारीख :–

नाम :–

प्राधिकृत अधिकारी का पद (मुहर सहित)

RajKaj Ref No.: 11463855